संख्या- 9 /2019/364 /30-3-19-6बी/2014

प्रेषक,

विनोद कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनॉक 07 मार्च, 2019

विषय :- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 20-03-2018 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-130स0सु0/2019-01स0सु0/2019, दिनॉक 30-01-2019 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 13-09-2018 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में सड़क सुरक्षा कोष (राजस्व मद) में प्राविधानित धनराशि रू0 1509.20 लाख के सापेक्ष सड़क सुरक्षा के विभिन्न कार्यो हेतु धनराशि रू० 37.50 लाख (रू० सैंतीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण के अनुसार कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	मद	स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	5
1	25 वाहनों हेतु चालक व उनका मानदेय आउटसोर्सिंग के माध्यम से	10.00
2	सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों को करने हेतु 20 अधिकारियों को किराये पर वाहन निविदा के माध्यम से	18.00
3	सड़क सुरक्षा सेल में 02 कन्सल्टेंट, 01 प्रक्योरमेंट एक्सपर्ट व बजट व आंकड़ों के प्रेजेन्टेशन हेतु 01 डाटा एनालिसिस्ट निविदा या नियोजन विभाग शासनादेश दिनांक 25.09.2018 के प्राविधानों के अनुसार प्रोक्योरमेंट की कार्यवाही की जायेगी।	2.00
4	सभी आरटीओ कार्यालय तथा सड़क सुरक्षा सेल हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से 25 सहायक	7.50
	योग =	**37.50 (रू0 सैंतीस लाख पचास हजार मात्र)**

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30-03-2018 का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व परिवहन आयुक्त का होगा।

(4) उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के राजस्व मद के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह०/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

संख्या-9 /2019/364(1)/30-3-2019, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०/'
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।